न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —237 / 2020(2020 / 00382)

अनवान : —

1. सुरेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
2. संतोष पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
3. सरला पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
4. सिलोचना पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
5. एसबीआइ बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वमी **वादी**
श्री सुरेन्द्र मील **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक: 04/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम ढाणी खोखरान के वर्तमान खाता संख्या 21 / 19 के खसरा न0 54 / 1 की 0.607 है0, खसरा न0 55 की 1.733 है0, खसरा न0 80 की 3.087 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की 5.427 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा माडूराम की खातेदारी हुआ करती थी। माडूराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी धर्मपाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी धर्मपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल को वादी के दादा माडूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी ग्राम ढाणी खोखरान सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 13/22, 61/59, 64/61, 65/62 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी खोखरान तहसरील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी ग्राम ढाणी खोखरान सम्वत 2071–74 खाता संख्या 61/19 प्रदर्श 1, जमाबन्दी खतौनी ढाणी खोखरान सम्वत 2055 खाता संख्या 13/22 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी ढाणी खोखरान सम्वत 2055 के खाता संख्या 61/59, 64/61, 65/62 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम ढाणी खोखरान के वर्तमान खाता संख्या 21/19 के खसरा न0 54/1 की 0.607 है0, खसरा न0 55 की 1.733 है0, खसरा न0 80 की 3.087 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की 5.427 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि [illegible] संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक कृषि भूमि होना साबित [illegible] 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होने [illegible] 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर देना राजनीनाम में स्वीकार [illegible]या है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 238/20 अनुवान सुरेश कुमार बनाम धर्मपाल आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम ढाणी खोखरान के वर्तमान खाता संख्या 21/19 के खसरा न0 54/1 की 0.607 है0, खसरा न0 55 की 1.733 है0, खसरा न0 80 की 3.087 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की 5.427 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सुरेश कुमार को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़